

## कार्यालय:-वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

क्रमांक:-स्था./

दिनांक:- 20.04.2021

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी परिपत्र क्रमांक 05/पीआई/2021 दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 20.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक निम्नलिखित आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई इस न्यायालय के द्वारा की जाएगी:-

1. Bail Applications
2. Remand Matters
3. Injunction/Stay Application
4. Supurdgi Application etc.

उक्त आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य समस्त आपराधिक/दीवानी प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी निम्न प्रकार नियत की जाती है।

तारीख पेशी	जिनमें अभियुक्त जे.सी में बंद है	आगामी तारीख पेशी
		आपराधिक / दीवानी
20-04-2021	03-05-2021	17-05-2021
22-04-2021	04-05-2021	18-05-2021
23-04-2021	05-05-2021	19-05-2021
24-04-2021	06-05-2021	20-05-2021
26-04-2021	07-05-2021	21-05-2021
27-04-2021	10-05-2021	22-05-2021
28-04-2021	11-05-2021	24-05-2021
29-04-2021	12-05-2021	25-05-2021
30-04-2021	13-05-2021	26-05-2021
01-05-2021	15-05-2021	27-05-2021
03-05-2021	17-05-2021	28-05-2021

क्रमांक:- ५७०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
2. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बारां।
3. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय बारां को अपलोड करने बाबत
4. नोटिस बोर्ड

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

दिनांक:- 20-4-21

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां